फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/257

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री वीदाराम
निवासी जामाफली
ठण्डीबेरी तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं 51 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
08.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 20.06.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 19.05.2018 से 16.06.2025 तक के बीच ग्राम पंचायत आमली के अन्तर्गत आमली, ठण्डीबेरी, सादलवा और मालप गांवों मे अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा की गई कृषि भूमि की खरीद / बिक्री / पट्टा से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं पंजीकृत बिक्री विलेख / पट्टा विलेख / रजिस्ट्री दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 20.06.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 19.05.2018 से 16.06.2025 तक के बीच ग्राम पंचायत आमली के अन्तर्गत आमली, ठण्डीबेरी, सादलवा और मालप गांवों में अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा की गई कृषि भूमि की खरीद / बिक्री / पट्टा से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं पंजीकृत बिक्री विलेख / पट्टा विलेख / रजिस्ट्री दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2025 / 176 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	